



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 18 अप्रैल 2024

थाना नरौरा

अंतर्जनपदीय पशु चोर गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 भैंस, अवैध असलहा कारतूस, अवैध चाकू व घटना मे प्रयुक्त पिकअप गाडी बरामद

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 17-04-2024 को थाना नरौरा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान गंगा बैराज पुल के पास पास से अंतर्जनपदीय पशु चोर गिरोह के 03 सदस्यों को 04 चोरी की भैंस, अवैध असलहा कारतूस, व घटना मे प्रयुक्त पिकअप गाडी आदि सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना नरौरा पर मुअस- 89/24 धारा 411 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. अनश पुत्र फरीद निवासी लालपुर गंगवारी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
2. निजामुद्दीन पुत्र गुलाम नवी निवासी नियर मदिना मस्जिद डींगरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
3. सूपी पुत्र अहमद निवसी नदरई थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज

बरामदगी-

1. 04 भैंस(चोरी की)
2. 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
3. 02 अवैध चाकू
4. 01 पिकअप गाडी न0 UP21-CT-8019 (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के पशु चोर है जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न जनपदो से भैंस चोरी की घटना कारित करने की स्वीकारोक्ति की गयी हैं अभियुक्तो द्वारा बरामद पिकअप गाडी को घटना मे प्रयुक्त किया जाता है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 16-04-2024 की रात्रि में जनपद एटा के थाना मिरहची क्षेत्रान्तर्गत से भैंस चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना मिरहची पर मुअसं- 69/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं। इस घटना से सम्बन्धित 01 भैंस बरामद हुई है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 16-04-2024 की रात्रि में जनपद एटा के थाना बागवाला क्षेत्रान्तर्गत से भैंस चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बागवाला पर मुअसं- 74/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं। इस घटना से सम्बन्धित 03 भैंस बरामद हुई है।

अभियुक्त अनश का अपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 180/23 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना असमौली जनपद सम्भला
2. मुअसं- 287/23 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना असमौली जनपद सम्भला
3. मुअसं- 292/22 धारा 3/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना मैनाठेर जनपद सम्भला
4. मुअसं- 321/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
5. मुअसं- 326/21 धारा 3/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
6. मुअसं- 422/20 धारा 3/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
7. मुअसं- 217/23 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना पाकबाडा जनपद मुरादाबाद।
8. मुअसं- 269/23 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना पाकबाडा जनपद मुरादाबाद।
9. मुअसं- 89/24 धारा 411 भादवि व 3/4/25 शस्त्र अधिनियम थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त निजामुद्दीन का अपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 387/21 धारा 323,498ए,504,506 भादवि थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबादा
2. मुअसं- 89/24 धारा 411 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर

अभियुक्त सूपी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं 03/15 धारा 60 आबाकरी अधिनियम थाना कासगंज जनपद कासगंज
2. मुअसं 87/15 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।
3. मुअसं 89/24 धारा 411 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री हरवीर सिंह थानाध्यक्ष नरौरा
2. उ0नि0 प्रशान्त कुमार, उ0नि0 राहलु कुमार
3. का0 सूर्य प्रकाश, का0 पारस यादव, का0 मनोज कुमार



मीडिया सेल बुलंदशहर